

Bank of India

Relationship beyond banking

ई-नीलामी बिक्री सूचना
सम्पत्तियों की ई-नीलामी : 25.03.2026

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(6) के प्रावधानों के साथ पठित वितीय आस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रें) एवं गारंटर(रें) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अवल सम्पत्तियाँ जो प्रतिभूत लेनदार के पास बैंक / प्रभारित है, का कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है वही है", "बिना किसी सट्टारे के" और "जो है वहाँ है" के आधार पर दिनिक 25.03.2026 को पूर्वा 11.00 बजे से अपरा 05.00 बजे को बेचा जाएगा। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(6) के प्रावधानों के साथ पठित वितीय आस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी द्वारा बेची जाने वाली सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: वस्तु की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण श्री नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है:

क्र. सं.	कर्जदार(रें) / गारंटर(रें) बंधककर्ता(ओं) का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कुल देय लाख में	a) आरक्षित मूल्य b) ईएमडी c) बोली वृद्धि राशि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मो. नं.
1.	उधारकर्ता: श्री अमित ग्रीनवोल्ड सह-उधारकर्ता: श्रीमती विजी ग्रीनवोल्ड राखा: - होज खास	नई दिल्ली-110045 स्थित महावीर एन्क्लेव के नाम से मशहूर नासिपुर कॉलोनी के राजस्व क्षेत्र में, खसरा संख्या 692/92, 93 और 94 में से संपत्ति संख्या डी-1/29 की दूसरी मंजिल पर स्थित आवासीय फ्लैट (क्षेत्रफल 41.81 वर्ग मीटर, मालिक श्री अमित ग्रीनवोल्ड और श्रीमती विजी ग्रीनवोल्ड) (यह संपत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है)	रु. 17.22+ अप्रभारित ब्याज + अन्य प्रभार	a) Rs. 18,95,000/- b) Rs. 1,89,500/- c) Rs. 25,000/-	नितेश गुप्ता मोब.: 908606355
2.	उधारकर्ता: श्री ऋषि राज सह-उधारकर्ता: श्रीमती सोना राखा:- प्रशांत विहार	डीडीए द्वारा निर्मित प्रोडेल प्लेट संख्या 91, संपूर्ण तीसरी मंजिल, छत के अधिकार सहित, पॉकेट-12, सेक्टर-22, रोहिणी आवासीय योजना, रोहिणी, दिल्ली-110086 के लेआउट प्लान में स्थित (क्षेत्रफल 28.00 वर्ग मीटर, मालिक: श्रीमती सोना) (यह संपत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है)	रु. 17.94+ अप्रभारित ब्याज + अन्य प्रभार	a) Rs. 25,50,000/- b) Rs. 2,55,000/- c) Rs. 25,000/-	नितेश गुप्ता मोब.: 7586901293

नियम और शर्तें

- नीलामी बिक्री / बोली केवल <https://baanlne.com> वेबसाइट के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" प्रक्रिया के माध्यम से होगी।
- इच्छुक बोलीदाताओं को <https://baanlne.com> पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, ईएमडी को एनईएफटी / आरटीजीएस / ट्रांसफर / बालान फॉर्म जनरेट करने के माध्यम से बैंकनेट ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा (<https://baanlne.com>)
- नीलामी की तिथि और समय: 25.03.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक, प्रत्येक 05 मिनट के असीमित ऑटो-एक्स्टेंशन के साथ।
- संपत्ति का निरीक्षण 20.03.2026 को सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति लेकर किया जा सकता है।
- ई-नीलामी आरक्षित मूल्य और ऊपर उल्लिखित प्रथम वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाताओं को सभी संपत्तियों के लिए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों में एक साथ अपने प्रस्तावों में सुधार करना होगा।
- इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी में सुधार मागीदारी के लिए 25.03.2026 को शाम 04:30 बजे से पहले <https://baanlne.com> पर आवश्यक दस्तावेजों / विवरणों के साथ BAAANLNE EMID वॉलेट में आरक्षित मूल्य का 10% अर्थात अग्रिम राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी।
- उच्चतम / सफल बोलीदाता को क्रय राशि का 25% (पहले से भुगतान की गई अग्रिम राशि सहित अर्थात बोली राशि का 10%) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री के संबंध में बोली स्वीकार करने के बाद बिक्री की पुष्टि के तुरंत बाद लेकिन अगले कार्य दिवस (बैंकिंग समय के दौरान) से अधिक देर नहीं जमा करना होगा, अन्यथा अग्रिम राशि जमा कर ली जाएगी।
- क्रय राशि का शेष 75% प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन (बैंकिंग समय के दौरान) या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में सहमत किसी विस्तारित अवधि में और केवल उसके विवेक पर देय होगा। निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा न करने की स्थिति में, जमा की गई राशि जमा कर ली जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी / बैंक नीलामी रद्द करके नई नीलामी आयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- संपूर्ण बिक्री मूल्य प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री पूर्ण मानी जाएगी और बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
- प्राधिकृत अधिकारी किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलीयों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि वह स्वीकार न हो, या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित / रद्द / स्थगित / बंद या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।
- बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक देखें - <https://www.baanlne.com/InDynamicTender/Type=3>
- यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ता/गारंटर / बंधकदाताओं को 15 दिन पहले की सूचना भी है।
- इस सूचना के अंग्रेजी संस्करण और किसी अन्य स्थानीय भाषा संस्करण के बीच विसंगति होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

अनसर्ता

08/03/2026